


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2015/आषाढ़ 24, 1937

No. 191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2015/ASADHA 24, 1937

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2015

फा. सं. 12015/05/2011-बी.सी. II.—जबकि मंडल आयोग की रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों की सूची दोनों में शामिल जातियों और समुदायों को समाहित करके 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध अन्य पिछड़े वर्गों की सामान्य केन्द्रीय सूची को **अनुबंध-I** में यथा निर्दिष्ट कल्याण मंत्रालय के संकल्पों के तहत अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (इसके बाद एनसीबीसी के रूप में संदर्भित) का गठन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 3 के अंतर्गत किया गया था और इसे नागरिकों के किसी वर्ग को सूचियों में पिछड़ा वर्ग के रूप में शामिल करने संबंधी अनुरोध की जांच करने और ऐसी सूची में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन एवं अल्प समावेशन की शिकायतों को सुनने तथा केन्द्रीय सरकार को सलाह देने, जैसा उपयुक्त हो, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं;

और जबकि, उक्त केन्द्रीय सूची को एनसीबीसी की सिफारिशों पर संशोधित किया गया था और **अनुबंध-II** में यथानिर्दिष्ट संकल्प के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया था;

और जबकि, एनसीबीसी ने हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में उक्त केन्द्रीय सूची में समावेशन के लिए जातियों एवं समुदायों की आगे सिफारिश की है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने एनसीबीसी की उपरोक्त सिफारिशों पर विचार किया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है तथा उपर्युक्त राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ग) के साथ पठित खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, परिशिष्ट में यथानिर्दिष्ट उपरोक्त राज्य के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की उक्त केन्द्रीय सूची में समावेशन एतद्वारा अधिसूचित करती है। ये समावेशन राजपत्र में इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

बी. एल. मीना, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

हिमाचल प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन

मौजूदा प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
55. शून्य	55. कांगड़ा जिला (हिमाचल प्रदेश) के छोटा भांगल और बड़ा भांगल क्षेत्र में चिरकाल से रह रहे जन साधारण अर्थात् बंगाहालिया।

अनुबंध-I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जिनके संबंध में सामान्य सूची अधिसूचित की गई है

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना की तारीख	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सं.12011/68/93-बीसीसी(सी)	13.09.93	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
2.	सं.12011/9/94-बीसीसी	20.10.94	उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव और पुडुचेरी
3.	सं.12011/7/95-बीसीसी	25.05.95	जम्मू व कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
4.	सं.12011/99/94-बीसीसी	12.12.97	चंडीगढ़

अनुबंध-II

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूची जिनके संबंध में एनसीबीसी की सिफारिश पर अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में समावेशन/संशोधन अधिसूचित किए गए हैं

क्रम सं.	संकल्प सं.	अधिसूचना की तारीख	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1.	सं.12011/02/96-बीसीसी	29.01.96	असम
2.	सं.12011/96/94-बीसीसी	11.03.96	आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
3.	सं.12011/44/96-बीसीसी	11.12.96	बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
4.	सं.12011/13/97-बीसीसी	17.12.97	उत्तर प्रदेश
5.	सं.12011/68/98-बीसीसी	27.10.99	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

6.	सं.12011/88/98-बीसीसी	06.12.99	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
7.	सं.12011/36/99-बीसीसी	04.04.2000	आंध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
8.	सं.12011/44/99-बीसीसी	21.09.2000	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल
9.	सं.12011/09/2000-बीसीसी	06.09.2001	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
10.	सं.12011/01/2001-बीसीसी	20.06.2003	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल
11.	सं.12011/04/2002-बीसीसी	13.01.2004	आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश
12.	सं.12011/09/2004-बीसीसी	17.01.2006	आंध्र प्रदेश, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश
13.	सं.12011/14/2004-बीसीसी	12.03.2007	दमन एवं दीव, अंडमान एवं निकोबार, उत्तरांचल, पुडुचेरी, त्रिपुरा, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र
14.	सं.12011/16/2007-बीसीसी	12.10.2007	पंजाब और उड़ीसा
15.	सं.12018/06/2005-बीसीसी	30.07.2010	बिहार
16.	सं.12015/02/2007-बीसीसी	18.08.2010	छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और दमन एवं दीव
17.	सं.12015/15/2008-बीसीसी	16.06.2011	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी।
18.	सं.12015/13/2010-बीसी-II	08.12.2011	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पुडुचेरी।
19.	सं.12015/5/2011-बीसी-II	17.02.2011	आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़।

20.	सं.20012/129/2009-बीसी-II	04.03.2014	बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
21.	सं.12011/04/2014-बीसी-II	14.01.2015	आंध्र प्रदेश,
22.	सं.12011/7/2014-बीसी-II	27.01.2015	केरल
23.	सं.12011/1/2015-बीसी-II	27.05.2015	हरियाणा और कर्नाटक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

RESOLUTION

New Delhi, the 14th July, 2015

F. No. 12015/05/2011-BC-II.—Whereas the Common Central List of Other Backward Classes comprising castes and communities included in both the lists in the report of the Mandal Commission and the lists of the State Governments were notified in respect of 26 States and Union Territories vide the erstwhile Ministry of Welfare Resolutions as specified in **Annexure-I**;

And whereas, the National Commission for Backward Classes (hereinafter referred to as the NCBC) constituted under section 3 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), hereinafter referred to as the said Act, has been empowered under sub-section (1) of section 9 of the said Act to examine requests for inclusion of any class of citizens as backward classes in the lists and hear complaints of over-inclusion and under-inclusion of any backward class in such lists and tender such advice to the Central Government as it deems appropriate;

And whereas, the said Central List has been amended, on the recommendations of the NCBC, and notified from time to time by the Central Government vide Resolutions as specified in **Annexure-II**;

And whereas, the NCBC has further recommended caste/community for inclusion in the said Central List in respect of the State of Himachal Pradesh.

And whereas, the Central Government has considered and accepted the aforesaid recommendations of the NCBC, and have decided to notify inclusion in the Central List of Other Backward Classes of the aforesaid State;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (a) read with clause (c) of section 2 of the said Act, hereby notifies the inclusions in the said Central Lists of Other Backward Classes in respect of the aforesaid State, as specified in the **Appendix**, which shall take effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette.

B. L. MEENA, Jt. Secy.

APPENDIX

**INCLUSION IN THE CENTRAL LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES FOR THE
STATE OF HIMACHAL PRADESH**

Existing Entry	New Entry
55. Nil	55. Populace i.e. Bangahalias residing since time immemorial in ChhotaBhangal and Bara Bhangal area of Kangra District (HP)

ANNEXURE-I

LIST OF STATES/UTs IN RESPECT OF WHICH COMMON LISTS HAVE BEEN NOTIFIED

Sl. No.	Resolution No.	Date of Gazette Notification	Concerned State/UT
1.	No.12011/68/93-BCC(C)	13.09.1993	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.

2.	No.12011/9/1994-BCC	20.10.1994	Orissa, Rajasthan, Tripura, West Bengal, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Puducherry.
3.	No.12011/7/95-BCC	25.05.1995	J&K, Manipur, Sikkim and NCT of Delhi.
4.	No.12011/99/94-BCC	12.12.1997	Chandigarh.

ANNEXURE-II

LIST OF STATES/UTs IN RESPECT OF WHICH INCLUSIONS/AMENDMENTS IN THE CENTRAL LISTS OF OTHER BACKWARD CLASSES (OBCs) HAVE BEEN NOTIFIED BASED ON THE RECOMMENDATIONS OF NCBC

Sl. No.	Resolution No.	Date of Gazette Notification	Concerned State/UT
1	No.12011/02/96-BCC	29.01.1996	Assam
2	No.12011/96/94-BCC	11.03.1996	Andhra Pradesh, Kerala, M.P., Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh and West Bengal
3	No.12011/44/96-BCC	11.12.1996	Bihar, Goa, Gujarat, Haryana, Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal.
4	No.12011/13/97-BCC	17.12.1997	Uttar Pradesh.
5	No.12011/68/98-BCC	27.10.1999	Andhra Pradesh, Chandigarh, Delhi, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, M.P., Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, U.P. and W.B.
6	No.12011/88/98-BCC	06.12.1999	Andhra Pradesh, Chandigarh, Bihar, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Orissa, Puducherry, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, U.P. and W.B.
7	No.12011/36/99-BCC	04.04.2000	Andhra Pradesh, Bihar, NCT of Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Puducherry, Rajasthan, Sikkim, Tripura, U.P. and W.B.
8	No.12011/44/99-BCC	21.09.2000	Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Orissa, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, U.P. and W.B.
9	No.12015/9/2000-BCC	06.09.2001	Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, U.P. and W.B.
10	12011/1/2001-BCC	20.06.2003	Andhra Pradesh, Chandigarh, NCT of Delhi, Haryana, Karnataka, Orissa, Rajasthan and W.B.
11	No.12011/4/2002-BCC	13.01.2004	Andhra Pradesh, Bihar, Punjab, Sikkim, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
12	No.12011/9/2004-BCC	17.01.2006	Andhra Pradesh., Bihar, NCT of Delhi, Goa, Gujarat, Karnataka, M.P., Maharashtra, Orissa, Puducherry and U.P.
13	No.12011/14/2004-BCC	12.03.2007	Daman & Diu, Andaman & Nicobar, Uttarakhand, Puducherry, Tripura, Karnataka, Gujarat and Maharashtra
14	No.12011/16/2007-BCC	12.10.2007	Punjab & Orissa

15	No.12018/6/2005-BCC	30.7.2010	Bihar
16	No. 12015/2/2007-BCC	18.8.2010	Chhattisgarh, Jharkhand, Himachal Pradesh, Haryana, Karnataka, Rajasthan and Daman & Diu.
17.	No.12015/15/2008-BCC	16.6.2011	Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands and Puducherry.
18.	No.12015/13/2010-BC-II	8.12.2011	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Sikkim, Tamil Nadu, Uttarakhand, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, National Capital Territory of Delhi and Puducherry,
19.	No.12015/5/2011-BC-II	17.2.2011	Andhra Pradesh, Bihar, Goa, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, National Territory of Delhi, Puducherry and Chandigarh.
20.	No.20012/129/2009-BC-II	04.03.2014	Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand, Uttar Pradesh, and National Capital Territory of Delhi.
21.	No.12011/04/2014-BC-II	14.1.2015	Madhya Pradesh
22.	No.12011/7/2014-BC-II	27.01.2015	Kerala
23.	No.12011/1/2015-BC-II	27.5.2015	Haryana and Karnataka